

पत्रक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 28 अगस्त, 2018

विषय: जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-
ओखलकाण्डा-खन्सयू-पतलोट मोटर मार्ग के कि०मी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में
42 मी० स्पान क्लास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हे० वन
भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-380/FP/UK/ROAD/33941/2018, दिनांक 04.08.
2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय
जनपद-नैनीताल में विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-
ओखलकाण्डा-खन्सयू-पतलोट मोटर मार्ग के कि०मी० 85 में खन्सयू रा०मा० सं० 64 में 42 मी०
स्पान क्लास-ए (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु 0.02 हे० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की संवैधानिक स्वीकृति, भारत
सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-11-09/98-एफ०सी०
दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त
प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित
वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान चेतन दरों को
समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)
202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3
/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य
(एन०पी०वी०) को निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बयनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि राक्षम स्तर से यदि
एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा
जमा की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.
02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों
प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा
संख्या-ए०पी०वी०-25229, कांफोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल
सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के
उपरांत ही पावती को छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की
छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का
व्यवस्थापन विवरण, अर्थात् एन०पी०वी० सत्यापक तथा रोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास

वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिश्ति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: 848 (1)/X-4-18/1(140)/2018, तददिनांकिते

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
6. अधिशासी अभियंता, विश्व बैंक, लो0नि0वि0, नैनीताल।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञासे,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।